भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 782

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

नए मंत्रालय का सृजन

782. श्री प्रदान बरुवा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल शक्ति नामक एक नया मंत्रालय बनाया है और शुरू किया है तथा उक्त नए मंत्रालय द्वारा बाढ़ और अपरदन योजनाएं शुरू और कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जी हां। नया मंत्रालय नामत: "जल शक्ति मंत्रालाय" को पूर्व जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है।

कटावरोधी स्कीमों के साथ बाढ़ प्रबंधन की आयोजना, जांच और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से राज्य की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्यों को तकनीकी दिशा-निर्देश और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों को सहायता देती है।

भारत सरकार ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधन, जल निकासी विकास, बाढ़ रोधन निर्माण कार्य, बाढ़ प्रबंधन संबंधी क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों के पुनरूद्धार और समुद्र कटावरोधन निर्माण कार्य से संबंधित निर्माण कार्यों को करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) शुरू किया था, जो आगे जारी रहा।

13238.36 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली कुल 522 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं तथा उन्हें एफएमपी के तहत शामिल किया गया। XIवीं योजना के आरंभ से, एफएमपी के तहत राज्यों को मार्च, 2019 तक कुल 5863.95 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ज सीमावर्ती क्षेत्रों (आरएमबीए) की स्कीमों से संबंधित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं निर्माण कार्य को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए 'बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम' (एफएमबीएपी) नामक एकल योजना में मिला दिया गया है।

*****